भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या3182

जिसका उत्तपर 04अगस्ता 2016 को दिया जाना है ।

स्वच्छ गंगा निधि

3182. डॉ उदित राज:

कुँवर भारतेन्द्र सिंह:

क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू कंपनियों और निजी भागीदारों को गंगा स्वच्छ निधि में योगदान करने, यदि कोई है, के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;

(ख) अभी तक स्वच्छ गंगा निधि के अंतर्गत कुल कितनी निधि एकत्र की गई है;

(ग) अभी तक जुटाई गई निधि के संवितरण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इसमें शामिल प्रत्येक एजेंसी को आवंटित संवितरित निधि का प्रतिशत क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्यय मंत्री (स्वितंत्र प्रभार) तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्या मंत्री (श्री विजय गोयल)

(क) जी , कार्पोरेट और प्राइवेट कंपनियां स्वाच्छर गंगा (सीजीएफ) कोष में अपनी कार्पोरेट सामाजिक दायित्व् (सीएसआर) निधि का अंशदान कर सकती है जो कि एक अधिसूचित सीएसआर कार्य है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अंतर्गत कर का लाभ पाने के लिए वे अपनी सामान्यर निधि में से सीजीएफ में भी अंशदान कर सकती हैं।

(ख) निवासियों , एनआरआई , सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी सहकारी कम्प नियों से 30.6.2016 तक स्वयच्छ गंगा कोष में 132,3,81,681 रूपए (एक सौ बत्तीस करोड़ तरतालीस लाख इक्यासी हजार छ: सौ इक्यासी रूपए) की राशि प्राप्त8 हुई है।

(ग) और (घ) यह निधि नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत नियोजित परियोजनाओं के लिए उपयोग की जायेगी।

*****